रजिस्ट्री सं. डीएल (एन)-04/0007/2003--05 REGISTERED No. DL(N)—04/0007/2003—05

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 51] नई दिल्ली, शनिवार, दिसम्बर 22—दिसम्बर 28, 2012 (पौष 1, 1934)
No. 51] NEW DELHI, SATURDAY, DECEMBER 22—DECEMBER 28, 2012 (PAUSA 1, 1934)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग III—खण्ड 4
[PART III—SECTION 4]

[सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई विविध अधिसूचनाएं जिसमें कि आदेश, विज्ञापन और सूचनाएं सम्मिलित हैं]
[Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies]

भारतीय चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्थान
(चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स)

नई दिल्ली-110002, दिनांक 23 नवम्बर 2012

सं. 29-सी.ए./लॉ/डी-78/2012--चार्टर्ड एकाउंटेंट्स विनियम, 1988 के विनियम 18 के साथ पठित, चार्टर्ड एकाउंटेंट्स अधिनियम, 1949 की धारा 20 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट संस्थान की परिषद् द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने, उक्त अधिनियम की धारा 21(6)(ग) के अनुसरण में, चार्टर्ड एकाउंटेंट निर्देश सं. 10/1998 के मामले में 29 अगस्त, 2012 को यह आदेश दिया था कि श्री एन. के. गुप्ता, एफसीए, चार्टर्ड एकाउंटेंट, ए-45, सेक्टर 26, नोएडा-201301 (सदस्य सं. 016064) के नाम को, उन्हें चार्टर्ड एकाउंटेंट अधिनियम, 1949 की धारा 22 के साथ पठित धारा 21 और चार्टर्ड एकाउंटेंट्स अधिनियम, 1949 की दूसरी अनुसूची के भाग 2 के खंड (i) के अंर्थान्तर्गत वृत्तिक अवचार का दोषी पाए जाने के कारण, एक वर्ष की अवधि के लिए सदस्यों के रजिस्टर से हटा दिया जाए तदनुसार, यह सूचित किया जाता है कि उक्त श्री एन. के. गुप्ता का नाम तारीख 01 जनवरी, 2013 से एक वर्ष की अवधि के लिए सदस्यों के रजिस्टर से हटा दिया जाएगा। उस अवधि के दौरान वह माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय के उक्त आदेश के निबंधानुसार चार्टर्ड एकाउंटेंट के रूप में व्यवसाय नहीं करेंगे।

टी. कार्तिकेयन
सचिव

सं. 29-सी.ए./लॉ/डी-274/2012--चार्टर्ड एकाउंटेंट्स विनियम, 1988 के विनियम 18 के साथ पठित, चार्टर्ड एकाउंटेंट्स अधिनियम, 1949 की धारा 20 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट संस्थान की परिषद् द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय ने, उक्त अधिनियम की धारा 21(6)(ग) के अनुसरण में, चार्टर्ड एकाउंटेंट निर्देश सं. 4/2011 के मामले में 10 जुलाई, 2012 को यह आदेश दिया था कि श्री अवधेश कुमार, एफसीए, चार्टर्ड एकाउंटेंट, 307, हेमकुंठ चैम्बर्स, 3रा तल, 89 नेहरू प्लेस, नई दिल्ली-110019,

(सदस्य सं. 097469) के नाम को, उन्हें चार्टर्ड एकाउंटेंट अधिनियम, 1949 की दूसरी अनुसूची के भाग I के खंड (7), खंड (8) और खंड (9) के अर्थान्तर्गत वृत्तिक अवचार का दोषी पाए जाने के कारण, एक वर्ष की अवधि के लिए सदस्यों के रजिस्टर से हटा दिया जाए। यह और अधिसूचित किया जाता है कि आईसीएआई की परिषद् ने, उन्हें पहली अनुसूची के भाग I के खंड (8) और खंड (9) के अर्थांतर्गत आने वाले वृत्तिक अवचार का दोषी पाए जाने के कारण, उनके नाम को तीन मास की अवधि के लिए सदस्यों के रजिस्टर से हटाने का दंड अधिरोपित किया है तथा यह और विनिश्चय किया है कि उक्त दंड, उच्च न्यायालय द्वारा निर्देश मामले में अधिरोपित दंड के साथ-साथ चलेगा। तदनुसार, यह सूचित किया जाता है कि उक्त श्री अवधेश कुमार का नाम तारीख 01 जनवरी, 2013 से एक वर्ष की अवधि के लिए सदस्यों के रजिस्टर से हटा दिया जाएगा। उस अवधि के दौरान वह माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के उक्त आदेश के निबंधानुसार चार्टर्ड एकाउंटेंट के रूप में व्यवसाय नहीं करेंगे।

टी. कार्तिकेयन
सचिव

पंजाब केन्द्रीय विश्वविद्यालय, भटिण्डा (पंजाब)

भटिण्डा, दिनांक 27 नवम्बर 2012

सं. सी.यू.पी.बी./सीसी/12/4918--

केन्द्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009 के परिनियम 11 में संशोधन

क्र.सं.	वर्तमान	संशोधित
(1)	(2)	(3)
1.	कार्यकारिणी परिषद् का गठन प्रथम कार्यकारिणी परिषद् ग्यारह सदस्यों से अधिक की नहीं होगी, जिन्हें केन्द्र सरकार द्वारा मनोनीत किया जाएगा और ये तीन वर्षों की एक अवधि के लिए पद धारण करेंगे। (केन्द्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009 का खंड 44) अवधि एवं गणपूर्ति 1. प्रथम कार्यकारिणी परिषद् तीन वर्षों के लिए गठित की गई। 2. कार्यकारिणी परिषद् की बैठक हेतु इसके सात* सदस्यों से गणपूर्ति होगी। (केन्द्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009 का परिनियम 11)। *वर्णित अधिनियम के खंड 27(5) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कुलाध्यक्ष ने उपर्युक्त परिनियम 11 में उसके नीचे निम्नलिखित प्रावधान जोड़ने का संशोधन अनुमोदित किया : "बशर्ते कि अधिनियम के खंड 44 के अस्थायी प्रावधान के अधीन गठित प्रथम कार्यकारिणी परिषद् की एक बैठक की गणपूर्ति पांच सदस्यों से होगी।"	कार्यकारिणी परिषद् का गठन 1. कुलपति 2. सम-कुलपति 3. बारी-बारी से वरिष्ठता के क्रम में और कुलपति द्वारा नियुक्त अध्ययन विद्यापीठ के चार डीन 4. अध्ययन विद्यापीठ के डीन अथवा केन्द्रों के समन्वयकों/शिक्षण/शोध विभागाध्यक्षों को छोड़ते हुए, बारी-बारी से वरिष्ठता क्रम के आधार पर और कुलपति द्वारा नियुक्त एक प्रोफेसर। 5. अध्ययन विद्यापीठ के डीन अथवा केन्द्रों के समन्वयकों/शिक्षण/शोध विभागाध्यक्षों को छोड़ते हुए, बारी-बारी से वरिष्ठता के आधार पर और कुलपति द्वारा नियुक्त एक सह प्रोफेसर। 6. अध्ययन विद्यापीठ के डीन अथवा केन्द्रों के समन्वयकों/शिक्षण/शोध विभागाध्यक्षों को छोड़ते हुए, बारी-बारी से वरिष्ठता के आधार पर और कुलपति द्वारा नियुक्त एक सहायक प्रोफेसर। 7. न्यायालय के दो सदस्य, जिनमें से कोई भी विश्वविद्यालय का कर्मचारी अथवा विद्यार्थी नहीं हो, और जिनको कुलाध्यक्ष द्वारा मनोनीति किया जाए। 8. कुलाध्यक्ष (विजिटर) द्वारा मनोनीत अकादमिक क्षेत्र के तीन प्रतिष्ठित व्यक्ति। 9. विश्वविद्यालय का कुलसचिव (कार्यकारिणी परिषद् का सचिव) अवधि एवं गणपूर्ति 1. कुलपति एवं सम-कुलपति को छोड़कर कार्यकारिणी के शेष सभी सदस्य तीन वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेंगे। 2. कार्यकारिणी परिषद् के कुल सदस्यों के आधे सदस्यों से, जिसमें से कम से कम दो बाहरी सदस्य, कार्यकारिणी परिषद् की बैठक की गणपूर्ति होगी।

जगदेव करतार सिंह
कुलसचिव

India Code

सं. सी.यू.पी.बी./सीसी/12/4918--

केन्द्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009 के परिनियम 13 में संशोधन

क्र. सं.	वर्तमान	संशोधित
(1)	(2)	(3)
1.	अकादमिक परिषद् का गठन प्रथम कार्यकारिणी परिषद् इक्कीस सदस्यों से अधिक की नहीं होगी, जिन्हें केन्द्र सरकार द्वारा मनोनीत किया जाएगा और ये तीन वर्षों की एक अवधि के लिए पद धारण करेंगे। (केन्द्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009 का खंड 44) अवधि एवं गणपूर्ति 1. प्रथम अकादमिक परिषद् तीन वर्षों के लिए गठित की गई। 2. अकादमिक परिषद् की बैठक हेतु इसके नौ सदस्यों से गणपूर्ति होगी। (केन्द्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009 का परिनियम 13)	अकादमिक परिषद् का गठन 1. कुलपति 2. सम-कुलपति 3. अध्ययन विद्यापीठों के डीन। 4. केन्द्रों के समन्वयक/शिक्षण/शोध विभागाध्यक्ष। 5. अध्ययन विद्यापीठ के डीन अथवा केन्द्रों के समन्वयकों/शिक्षण/शोध विभागाध्यक्षों को छोड़ते हुए, बारी-बारी से वरिष्ठता के आधार पर और कुलपति द्वारा नियुक्त तीन प्रोफेसर। 6. अध्ययन विद्यापीठ के डीन अथवा केन्द्रों के समन्वयकों/शिक्षण/शोध विभागाध्यक्षों को छोड़ते हुए, बारी-बारी से वरिष्ठता के आधार पर और कुलपति द्वारा नियुक्त दो सह प्रोफेसर। 7. अध्ययन विद्यापीठ के डीन अथवा केन्द्रों के समन्वयकों/शिक्षण/शोध विभागाध्यक्षों को छोड़ते हुए, बारी-बारी से वरिष्ठता के आधार पर और कुलपति द्वारा नियुक्त एक सहायक प्रोफेसर। 8. अकादमिक परिषद् की सिफारिश पर विभिन्न विषय क्षेत्रों का विशेष ज्ञान रखने वाले छह व्यक्ति, जो विश्वविद्यालय की सेवा में नहीं हों। 9. प्रौद्योगिकी/उद्योग/वित्त/शिक्षा के क्षेत्र से तीन प्रतिष्ठित व्यक्ति जिन्हें कुलपति द्वारा मनोनीत किया जाए। 10. डीन, विद्यार्थी कल्याण 11. विश्वविद्यालय का कुलसचिव (अकादमिक परिषद् का सचिव) अवधि एवं गणपूर्ति 1. पदेन सदस्यों को छोड़कर अन्य सभी सदस्य दो वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेंगे। 2. अकादमिक परिषद् के कुल सदस्यों के आधे सदस्यों से अकादमिक परिषद् की बैठक के लिए गणपूर्ति होगी।

जगदेव करतार सिंह
कुलसचिव

THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA

New Delhi-110002, the 23rd November 2012

(CHARTERED ACCOUNTANTS)

No. 29-CA/Law/D-78/2012—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 20 of the chartered Accountants Act, 1949 read with Regulation 18 of the Chartered Accountants Regulations, 1988, it is hereby notified by the Council of the Institute of Chartered Accountants of India that the Hon'ble High Court of Allahabad has, in pursuance of Section 21(6)(c) of the said Act, in Chartered Accountant Reference No. 10/1998, ordered on 29th August, 2012 that the name of Shri N. K. Gupta, FCA, Chartered Accountant, A-45, Sector-26, NOIDA-201301 (M.No.016064) be removed from the Register of Members for a period of one year for having been found guilty of professional misconduct within the meaning of Section 21 read with Section 22 of the Chartered Accountants Act, 1949 and clause (i) of Part II of the Second Schedule to the Chartered Accountants Act, 1949. Accordingly, it is hereby informed that the name of the said Shri N. K. Gupta shall stand removed from the Register of members for a period of one year w.e.f. 1st January, 2013. During that period he shall not practise as a Chartered Accountant in terms of the said order of the Hon'ble High Court of Allahabad.

T. KARTHIKEYAN
Secy.

No. 29-CA/Law/D-274/2012—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 20 of the Chartered Accountants Act, 1949 read with Regulation 18 of the Chartered Accountants Regulations, 1988, it is hereby notified by the Council of the Institute of Chartered Accountants of India that the Hon'ble High Court of Delhi has, in pursuance of Section 21(6)(c) of the said Act, in chartered Accountant Reference No. 4/2011, ordered on 10th July, 2012 that the name of Shri Awadhesh Kumar, FCA, Chartered Accountant, 307, Hemkunt Chambers, III Floor, 89, Nehru Place, New Delhi-110019 (M. No. 097469) be removed from the Register of Members for a period of one year for having been found guilty of Professional Misconduct within the meaning of clauses (7), (8) and (9) of Part I of the Second Schedule of the Chartered Accountants Act, 1949. It is further notified that the Council of the ICAI had imposed punishment of removal of his name for a period of three months from the Register of Members for having been found guilty of Professional Misconduct falling within the meaning of Clauses (8) and (9) of Part I of the First Schedule and had further decided that the said punishment will run concurrently with the punishment imposed by the High Court in reference case. Accordingly, it is hereby informed that the name of the said Shri Awadhesh Kumar shall stand removed from the Register of members for a period of one year w.e.f. 1st January, 2013. During that period he shall not practise as a Chartered Accountant in terms of the said order of the Hon'ble High Court of Delhi.

T. KARTHIKEYAN
Secy.

CENTRAL UNIVERSITY OF PUNJAB, BATHINDA (PUNJAB)

Bathinda, the 27th November 2012

NO. CUPB/CC/12/4918—

Amendment to Statute 11 of the Central Universities Act 2009

Sl. No.	Existing	Amended
(1)	(2)	(3)
1.	Constitution of the Executive Council The first Executive Council shall consist of not more than eleven members, who shall be nominated by the Central Government and shall hold office for a term of three years. (Section 44 of the Central Universities Act, 2009) Term and quorum 1. The first Executive Council was constituted for a term of three years. 2. Seven* members of the Executive Council shall form a quorum for a meeting of the Executive Council (Statute 11 of the Central Universities Act, 2009). *The visitor in exercise of the powers vested in her under Section 27(5) of the said Act, approved amendment in above Statute 11 to add the following proviso thereunder : "Provided that for a meeting of the First Executive Council constituted under the transitional provision of Section 44 of the Act, five members shall form a quorum."	Constitution of the Executive Council : 1. Vice Chancellor 2. Pro Vice Cancellor 3. Four Deans of Schools of Studies, by rotation, according to seniority and to be appointed by Vice Chancellor. 4. One Professor, by rotation, according to seniority excluding those who are Deans of Schools of Study or are Coordinators of Centres/Heads of Teaching/ Research Departments on the basis of seniority and to be appointed by Vice Chancellor. 5. One Associate Professor, by rotation, according to seniority excluding those who are Deans of Schools of study or are Coordinators of Centres/Heads of Teaching/ Research Departments on the basis of seniority and to be appointed by Vice Chancellor. 6. One Assistant Professor, by rotation, according to seniority excluding those who are Deans of Schools of Study or are Coordinators of Centres/heads of Teaching/ Research Departments on the basis of seniority and to be appointed by Vice Chancellor. 7. Two members of Court, none of whom shall be an employee or student of the University, to be nominated by the Visitor. 8. Three persons of distinction in academics, to be nominated by the Visitor. 9. Registrar of the University (Secretary to Executive Council) Term and Quorum 1. All members of the Executive Council other than the Vice Chancellor and Pro-Vice Chancellor shall hold office for a term of three years. 2. One half of the total members of the Executive Council shall form the quorum for a meeting of Executive Council out of which at least two members shall be from [illegible]

JAGDEV KARTAR SINGH
Registrar

NO. CUPB/CC/12/4918—

Amendment to Statute 13 of the Central Universities Act 2009

Sl. No.	Existing	Amended
(1)	(2)	(3)
1.	Constitution of the Academic Council The first Academic Council shall consist of not more than twenty-one members, who shall be nominated by the Central government and shall hold office for a term of three years (Section 44 of the Central Universities Act, 2009) Term and Quorum 1. The first Academic Council was constituted for a term of three years. 2. Nine members of the Academic Council shall form a quorum for a meeting of the Academic Council (Statute 13 of the Central Universities Act, 2009).	Constitution of the Academic Council 1. Vice Chancellor 2. Pro Vice Chancellor 3. Dean of Schools of Studies 4. Coordinators of Centres/Heads of Teaching/ Research Departments. 5. Three Professors, by rotation, according to seniority excluding those who are Deans of Schools of Study or are Coordinators of Centres/Heads of Teaching/ Research Departments on the basis of seniority and to be appointed by Vice Chancellor. 6. Two Associate Professors, by rotation, according to seniority excluding those who are Deans of Schools of Study or are Coordinators of Centres/Heads of Teaching/ Research Departments on the basis of seniority and to be appointed by Vice Chancellor. 7. One Assistant Professor, by rotation, according to seniority excluding those who are Deans of Schools of Study or are Coordinators of Centres/Heads of Teaching/ Research Departments on the basis of seniority and to be appointed by Vice Chancellor. 8. Six persons, not in the service of the University, on the recommendations of the Academic Council for their special knowledge in different disciplines. 9. Three eminent persons from the field of Technology/ Industry/Finance/Education to be nominated by the Vice Chancellor. 10. Dean, Students Welfare. 11. Registrar of the University (Secretary to Academic Council) Term and Quorum 1. All members of the Academic Council other than ex-officio members shall hold office for a period of two years. 2. One half of the total members of the Academic Council shall form the quorum for the meeting of Academic Council.

JAGDEV KARTAR SINGH
Registrar

प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, फरीदाबाद द्वारा मुद्रित एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली द्वारा प्रकाशित, 2012
PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 2012
MGIPF—[Part III—Sec. 4]—140 Copies.